प्रेषक,

मिशन निदेशक,
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0
19–ए, विधान सभा मार्ग, लखनऊ।

सेवा में,

मुख्य चिकित्सा अधिकारी
लखनऊ।

पत्र संख्याः एस.पी.एम.यू. / आर.बी.एस.के. / 16–1 / 2015–16 / 7107-75 दिनांकः 5/10/15

विषयः–राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अन्तर्गत न्यू बॉर्न स्क्रीनिंग– इनबॉर्न एरर ऑफ मेटाबालिज़्म प्रोजेक्ट के संचालन के लिए मानव संसाधन के मानदेय हेतु धनराशि के संबंध में।

महोदय,

अवगत करना है कि राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अन्तर्गत Newborn sceening for inborn error of matablism प्रोजेक्ट, संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान लखनऊ में संचालित किया जाना है, जिनके लिए भारत सरकार द्वारा वर्ष 2015–16 की आर.ओ.पी. के एफ.एम.आर कोड ए.5.1.5 पर मानव संसाधन के मानदेय हेतु रु0 13.57 लाख स्वीकृत किया गया है, जिसका विवरण निम्नवत है–

S. No.	Budget Head	Funds in lakh	Remarks
A.5.1.5	**New born screening- Inborn error of metabolism**		
	Supervisory officer	4.50	1 x Rs 50000 x 9 Months
	Programme Manager	4.50	2 x Rs 25000 x 9 Months
	Technicians	3.54	3 x Rs 13100 x 9 Months
	Data entry operator	1.03	1 x Rs 11500 x 9 Months
	Total	**13.57**	

आप अवगत हैं कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत समस्त धनराशियां राज्य स्वास्थ्य सोसाइटी से जिला स्वास्थ्य सोसाइटी के खाते में स्थानान्तरित किये जाने का ही प्राविधान है, अतः यह धनराशि भी जिला स्वास्थ्य सोसाइटी लखनऊ के खाते में स्थानान्तरित की जा रही है। आपसे अनुरोध है कि भारत सरकार द्वारा इस प्रस्ताव हेतु निर्धारित की गई शर्तों का पालन निदेशक एस.जी.पी.जी.आई के माध्यम से सुनिश्चित कराते हुए इस जनहितकारी योजना के संचालन में पूर्ण सहयोग प्रदान करने का कष्ट करें।

निदेशक संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान लखनऊ द्वारा उक्त धनराशि निम्न खाते में अवमुक्त किये जाने का अनुरोध किया गया हैः–

Account name of holder : Director, SGPGIMS, Lucknow
Account Number : 10095237355
IFSC Code : SBI N0007789

आपसे अनुरोध है कि भारत सरकार द्वारा जारी वित्तीय नियमों का पालन करते हुए इस गतिविधि हेतु स्वीकृत धनराशि रु0 13.57 लाख जिला स्वास्थ्य सोसाइटी लखनऊ के खाते से निदेशक एस.जी.पी.जी.आई. के उपरोक्त खाते में स्थानान्तरित करने का कष्ट करें तथा प्रोजेक्ट का नियमित अनुश्रवण अपने स्तर से भी करते हुए एस.ओ.ई. एस.पी.एम.यू. के वित्त अनुभाग को ससमय उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय

21/9/15

(अमित कुमार घोष)

मिशन निदेशक

पृष्ठांकनः एस.पी.एम.यू. / आर.बी.एस.के. / 16–1 / 2015–16 / तद्दिनांक

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. प्रमुख सचिव चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0।
2. निदेशक, संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान लखनऊ।
3. महानिदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य उ0प्र0, स्वास्थ्य भवन लखनऊ को उक्त प्रोजेक्ट में सहयोग प्रदान करने हेतु।
4. महानिदेशक, परिवार कल्याण महानिदेशालय उ0प्र0 को इस आशय से कि वे उक्त प्रोजेक्ट के संचालन में पूर्ण सहयोग प्रदान करें, इसका नियमित अनुश्रवण सुनिश्चित करें तथा समय–समय पर अपनी रिपोर्ट अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध करायें।
5. डा. शुभा फड़के, (एम.डी, डी.एम.) विभागाध्यक्ष, मेडिकल जेनिटिक्स एस.जी.पी.जी.आई लखनऊ को इस आशय से कि वे भारत सरकार द्वारा निर्धारित शर्तों का पालन करते हुए प्रोजेक्ट का संचालन करें तथा संचालन में आवश्यकतानुसार महानिदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य तथा महानिदेशक परिवार कल्याण से सहयोग प्राप्त करें।
6. वित्त नियंत्रक, एन.एच.एम. एस.पी.एम.यू. लखनऊ को इस अनुरोध के साथ कि वे संबंधित धनराशि जिला स्वास्थ्य सोसाइटी के खाते में एफ.एम.आर कोड ए.5.1.5 पर नियमानुसार अवमुक्त करने का कष्ट करें तथा उक्त प्रोजेक्ट हेतु समय–समय पर उपयोगिता प्रमाण पत्र भी प्राप्त करने का कष्ट करें।

(अमित कुमार घोष)

मिशन निदेशक